न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 35/2020 (RCMS : 2020/ 00092) अनवान रामसिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी चक 1 एनडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर **बनाम** भंवर सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत निवासी चक 3 एन डी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.10.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ उपस्थित है। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया और पत्रावली **का अवलोकन किया तो पाया कि** यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 06/2019 अनवान् भंवर सिह बनाम धन्ने सिंह वगै. अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठीसन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करने में प्रार्थी के अधिवक्ता को भी कोई एतराज नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:54 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर